कार्यालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

राकेश कुमार बनाम् अंचल अधिकारी, बगोदर एवं अन्य

नामांतरण अपील वाद संख्या....15...../2022-23

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आवेदक राकेश कुमार पिता स्व0 रघुदेव प्रसाद, साकिन-बगोदर टोला बीचे बाजार, थाना-बगोदर, जिला गिरिडीह द्वारा आवेदन दाखिल किया है कि, मौजा-बगोदर, थाना नं0-107 के अन्तर्गत खाता नं0-240, प्लॉट नं0-110, पंजी-II के भोलुम नं0-28 पेज नं0-89 रकवा-11.37 डी0 का अंचलाधिकारी बगोदर के द्वारा दाखिल-खारिज केस नं0-93/22-23 के तहत पारित आदेश उनके हित के विरूद्ध है। अतः आदेश की समीक्षा हेतु यह अपीलवाद लाया गया है।

आवेदक द्वारा अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा नामान्तरण वाद सं0-93/22-23 में पारित आदेश की सत्यापित कॉपी की छाया प्रति दाखिल किया गया है। बिलम्ब से अपील दायर करने की स्थिति को क्षांत करने हेतु लिमिटेशन एक्ट की धारा-5 के अंतर्गत आवेदन भी दायर किया गया है।

अतः उपरोक्त भूमि पर नामांतरण अपील वाद प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 04/1/2023 को रखे।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बगोदर-सरिया।

Scanned with CamScanner

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
27/2/23	**आदेश** आदेश हेतु अभिलेख उपस्थापित। अपीलकर्ता द्वारा अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा नामांतरण वाद सं. 93/2022-23 में पारित आदेश के विरुद्ध यह वाद लाया गया है। प्रश्नगत भूमि मौजा- बगोदर, थाना- बगोदर में स्थित खाता - 240, प्लाट - 110 रकबा - 11.37 डी. है। अपीलकर्ता के अनुसार प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की है जो खतियान के अनुसार जोदवा बढ़ई की है। वर्ष 2005 में कैलाश मिस्त्री पिता स्व० हलचन्द मिस्त्री द्वारा निबंधित विक्रय-पत्र सं०- 9177, द्वारा गिरधारी यादव पिता स्व० लालमन यादव को बिक्री कर दिया। उक्त जमीन की खरीदगी के पश्चात गिरधारी यादव ने नामांतरण हेतु अंचल अधिकारी, बगोदर के समक्ष आवेदन दाखिल किया गया। अंचल अधिकारी बगोदर द्वारा उक्त दाखिल खारिज को दिनांक - 28.03.07	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2 1	2	3

को अस्वीकृत कर दिया गया।

उक्त गिरधारी यादव द्वारा अंचल अधिकारी, बगोदर के आदेश के विरुद्ध भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गिरिडीह के न्यायालय में अपील वाद सं०- 129/2007-08 दायर किया गया। बिडाल भूमि सुधार उप समाहर्ता, गिरिडीह द्वारा अपील को अस्वीकृत करते हुये अंचल अधिकारी के आदेश को यथावत रखा। तत्पश्चात् अपीलकर्ता द्वारा समाहर्ता, गिरिडीह के न्यायालय में पुनरीक्षण वाद सं०- 21/2007 दाखिल किया गया। बिडाल समाहर्ता, गिरिडीह द्वारा अंचल अधिकारी, बगोदर एवं भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गिरिडीह के आदेश को यथावत रखा तथा पुनरीक्षण वाद को खारिज कर दिया गया।

उक्त गिरधारी यादव के वंशजों के द्वारा वर्ष- 2022 में नामांतरण वाद सं०- 838/2021-22 दायर किया गया जिसे अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा स्वीकृत कर दिया गया तथा गिरधारी यादव के नाम

Scanned with CamScanner

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
3 1	2	3
	जमाबंदी कायम कर दी गई। गिरधारी यादव वगै० के द्वारा उक्त जमीन विक्रय पत्र सं० – 226/BK1/220 दिनांक – 28.04.22 द्वारा विपक्षी अलका कुमारी, साकिन - खरखरा को बिक्री कर दिया। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा प्रस्तावित नामांतरण वाद को अलका कुमारी के पक्ष में स्वीकृत कर दिया गया। फलत: यह अपील लाया गया है। अपीलकर्ता का आगे कहना है कि नामांतरण वाद सं० – 838/2021-22 के आवेदक के पिता के द्वारा पूर्व दाखिल-खारिज आवेदन को अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं समाहर्ता द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया, जिसे नियम-विरुद्ध अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा पुर्नजीवित कर विपक्षी के हित में नामांतरण स्वीकृत कर दिया गया।, अत: अंचल अधिकारी द्वारा पारित नामांतरण आदेश को निरस्त करने की आवश्यकता है।	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
4. 1	2	3

विपक्षी द्वारा लिखित एवं मौखिक रूप से अपना पक्ष रखा गया।.

विपक्षी के अनुसार अंचल अधिकारी द्वारा गिरधारी यादव का नामांतरण वाद सं० - 2083/06-07 अद्यतन किया गया था, उसकी जानकारी विपक्षी (द्वितीय पक्ष) को नहीं है। उक्त वाद में द्वितीय पक्ष पक्षकार नहीं थे। अंचल अधिकारी द्वारा करीब 15-16 वर्ष पहले आदेश पारित किया गया है, जो द्वितीय पक्ष को बाध्यकारी नहीं है।

विपक्षी का आगे कहना है कि नामांतरण वाद जो वर्ष 2007 में अद्यतन किया गया था, उसका आधार निबंधित कैंसिलनामा दिनांक 15.02.2006 है। लेकिन कैंसिलनामा के आधार पर विक्रय-पत्र को कैंसिल नहीं किया जा सका है, अतः पूर्व में भी गलत ढंग से नामांतरण अद्यतन किया गया था। अतः यह अपील स्वीकार करने योग्य नहीं है।

उभय पक्षों के द्वारा दाखिल लिखित अभिकथन

Scanned with CamScanner

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
5.	एवं दस्तावेजों के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ (i) कि प्रश्नगत भूमि का क्रय- विक्रय वर्ष 2005 में खतियानी रैयत के वंशज वंशज कैलाश मिश्रो एवं गिरधारी यादव के बीच विक्रय पत्र सं० - 9177 के द्वारा किया गया था। पुनः विक्रेता कैलाश ~~यादव~~ मिश्रो ने निबंधित कैंसिल नामा सं. 1681, दिनांक - 15-02-2006 निष्पादित किया। उक्त आधार पर अंचल अधिकारी बगोदर द्वारा नामांतरण वाद सं० - 2083/06-07 को अस्वीकृत कर दिया। उक्त आदेश को अंच विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गिरिडीह एवं विद्वान समाहर्ता गिरिडीह द्वारा यथावत रखा। अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा उक्त आदेश की अनदेखी कर एक नया आदेश पारित करते हुये विपक्षी के पक्ष में नामांतरण स्वीकृत कर दिया गया।	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
6. 1	2	3
	नामांतरण की कार्यवाई The Bihar Tenants' Holdings (Maintenance of Records) Act, 1973 के धारा-14 के अंतर्गत की जाती है। धारा-15 एवं 16 में क्रमशः अपील एवं पुनरीक्षण का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 15(3) का उल्लेख प्रासंगिक होगा— "15(3) Subject to the provisions of section 16, the order of the Land Reforms Deputy Collector on appeal shall be final." स्पष्टतया भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश अंतिम होता है बशर्ते पुनरीक्षण वाद में अन्यथा आदेश पारित नहीं किया जाये। चूंकि वर्ष 2007 में प्रासंगिक विक्रय-पत्र के संदर्भ में विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता एवं विद्वान समाहर्त्ता, गिरिडीह द्वारा आदेश पारित किया जा चुका है। अतः उक्त वाद से ~~में पुनः~~ सम्बन्धित दस्तावेजों	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
7. 1	2	3

की समीक्षा कर अंचल अधिकारी, पुनः आदेश पारित नहीं कर सकते हैं।

(ii) कि विपक्षी की यह दलील कि कैंसिलनामा पत्र के आधार पर विक्रय पत्र रद्द नहीं हो जाता है, स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि नामांतरण स्वीकृत करने वाले सभी प्राधिकार के द्वारा समीक्षा कर आदेश पारित किया जा चुका है। विपक्षी को उक्त समीक्षा बिन्दु/आदेश की असंतुष्टि पर सक्षम न्यायालय में जाना चाहिये। The Bihar Tenants' Holdings (Maintenance of Records) Act, 1973 में अपील/पुनरीक्षण के बाद पुनर्वाई का कोई प्रावधान नहीं है।

(iii) कि निम्न न्यायालय के आदेश पत्रक/अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी के द्वारा अंचल अधिकारी, बगोदर के समक्ष सभी तथ्यों को

Scanned with CamScanner

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
8 1	2	3
	रखा नहीं गया, विशेषकर पूर्व में पारित आदेश का उल्लेख भी नहीं किया गया है। उक्त विवेचन के आलोक में अपीलकर्ता के द्वारा दायर अपील आवेदन को स्वीकृत करते अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा नामांतरण वाद सं. 93/2022-23 में पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। सम्बन्धित पक्षकारों को इस आदेश से अवगत करावें तथा अंचल अधिकारी बगोदर को इस आदेश की प्रति अनुपालन हेतु उपलब्ध करावें। 2/3/23 LRDC.	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.03.02 15:09:17 +05:30
Location: 192.168.1.7

Scanned with CamScanner